

डॉ. ऋषिका वर्मा
सहायक आचार्य
दर्शन विभाग
हेमावती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय

कर्तव्य के लिए कर्तव्य करो

कर्तव्य के लिए कर्तव्य करो नैतिक दर्शन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण उक्ति है। इसका मूल आशय यह है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन किसी बाहरी लाभ, पुरस्कार, भय, प्रतिष्ठा अथवा व्यक्तिगत स्वार्थ की प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि इसलिए करना चाहिए क्योंकि वह नैतिक रूप से उचित है। यद्यपि कर्तव्य के लिए कर्तव्य का सिद्धांत विशेष रूप से इमैनुएल कांट के कर्तव्यवाद से संबद्ध है, जॉन स्टुअर्ट मिल के उपयोगितावादी नैतिक दर्शन में भी कर्तव्य, नैतिकता और मानवीय कल्याण का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मिल ने कर्तव्य को केवल व्यक्तिगत नियम के रूप में न देखकर उसे मानव-सुख, सामाजिक हित और व्यापक उपयोगिता से जोड़ा।

कर्तव्य के लिए कर्तव्य करो का सामान्य अर्थ यह है कि व्यक्ति को अपने नैतिक दायित्वों का निर्वाह उनके आंतरिक नैतिक मूल्य के कारण करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति केवल पुरस्कार पाने के लिए सत्य बोलता है, तो उसके कार्य का बाहरी परिणाम अच्छा हो सकता है, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या उसके भीतर नैतिक भावना भी मौजूद है? यदि पुरस्कार समाप्त हो जाए और वह व्यक्ति सत्य बोलना छोड़ दे, तो उसके नैतिक चरित्र की वास्तविकता संदिग्ध हो सकती है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति सत्य इसलिए बोलता है क्योंकि सत्य बोलना उसका नैतिक दायित्व है, तो उसके कर्म में नैतिक प्रतिबद्धता अधिक स्पष्ट दिखाई देती है।

मिल की नैतिकता में कर्तव्य और उपयोगिता का संबंध इसी बिंदु पर स्पष्ट होता है। यदि किसी समाज में लोग अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो पारस्परिक विश्वास और सामाजिक स्थिरता विकसित होती है। उदाहरण के लिए, यदि शिक्षक ईमानदारीपूर्वक अपने विद्यार्थियों को शिक्षा देता है, चिकित्सक अपने रोगियों के प्रति जिम्मेदारी निभाता है, न्यायाधीश निष्पक्ष निर्णय देता है और नागरिक कानून तथा सामाजिक दायित्वों का पालन करते हैं, तो समाज में व्यापक कल्याण की संभावना बढ़ती है। इस अर्थ में कर्तव्य केवल व्यक्तिगत नैतिकता नहीं, बल्कि सामाजिक जीवन की आधारभूत आवश्यकता बन जाता है।

मिल के दर्शन में निष्पक्षता भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उपयोगितावादी दृष्टि में किसी व्यक्ति का सुख केवल इसलिए अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो जाता कि वह स्वयं है। नैतिक निर्णय में प्रत्येक व्यक्ति के हित को समान महत्व दिया जाना चाहिए। इसलिए कर्तव्य का अर्थ केवल अपने परिवार, मित्रों या व्यक्तिगत समूह के प्रति दायित्व निभाना नहीं है; व्यापक मानव समुदाय के हितों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।

इसी संदर्भ में कर्तव्य के लिए कर्तव्य की भावना को मिल के दर्शन से जोड़कर देखा जा सकता है। यदि व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए करता है, तो उसकी नैतिकता स्वार्थ से संचालित हो सकती है। लेकिन यदि वह अपने कर्तव्य को इस भावना से निभाता है कि उसके कार्य से अन्य मनुष्यों का कल्याण होगा, तो उसका कर्म उपयोगितावादी नैतिकता के अधिक निकट आता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर पड़े कचरे को केवल इसलिए उठाता है कि उसे कोई पुरस्कार मिलेगा, तो उसके कर्म का परिणाम उपयोगी हो सकता है; लेकिन यदि वह ऐसा सार्वजनिक स्वच्छता और सामूहिक स्वास्थ्य की चिंता से करता है, तो उसके कर्म के पीछे सामाजिक उपयोगिता की भावना दिखाई देती है। भगवद्गीता में श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं- कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवद्गीता, 2.47

अर्थात् मनुष्य का अधिकार कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। गीता का यह सिद्धांत कर्म को फल की आसक्ति से मुक्त होकर करने की प्रेरणा देता है। यद्यपि गीता का निष्काम कर्म और कांट का कर्तव्यवाद या मिल का उपयोगितावाद दार्शनिक रूप से समान नहीं हैं, फिर भी तीनों में कर्म की नैतिकता, आत्मसंयम और व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठने की भावना पर महत्वपूर्ण विचार मिलता है।

गीता में आगे कहा गया है: तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर। भगवद्गीता, 3.19 अर्थात् आसक्ति से रहित होकर निरंतर अपने कर्तव्य कर्म को करना चाहिए। यहाँ कर्तव्य का संबंध व्यक्ति के स्वधर्म और व्यापक लोकसंग्रह से जुड़ता है। इस प्रकार भारतीय चिंतन में भी कर्तव्य को केवल व्यक्तिगत लाभ से नहीं जोड़ा गया है।

आधुनिक जीवन में कर्तव्य के लिए कर्तव्य का महत्व और अधिक दिखाई देता है। आज व्यक्ति अनेक भूमिकाएँ निभाता है:वह परिवार का सदस्य, शिक्षक, कर्मचारी, नागरिक, मित्र और सामाजिक प्राणी है। प्रत्येक भूमिका के साथ कुछ उत्तरदायित्व जुड़े हैं। यदि व्यक्ति केवल अधिकारों की बात करे और कर्तव्यों की उपेक्षा करे, तो सामाजिक संतुलन प्रभावित हो सकता है। इसलिए अधिकार और कर्तव्य दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं।

एक शिक्षक का कर्तव्य केवल पाठ्यक्रम पूरा करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में ज्ञान, विवेक, नैतिकता और मानवीय संवेदना विकसित करना भी है। एक चिकित्सक का दायित्व केवल उपचार करना नहीं, बल्कि रोगी के प्रति संवेदनशील और जिम्मेदार होना भी है। एक नागरिक का दायित्व केवल अपने अधिकारों का प्रयोग करना नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना भी है।

अंततः कहा जा सकता है कि कर्तव्य केवल किसी बाहरी आदेश का पालन नहीं है। वास्तविक नैतिकता तब विकसित होती है जब व्यक्ति अपने दायित्वों को समझकर उनका पालन करता है और यह अनुभव करता है कि उसका आचरण केवल उसके अपने जीवन को नहीं, बल्कि अन्य लोगों के जीवन को भी प्रभावित करता है। कांट का कर्तव्य के लिए कर्तव्य व्यक्ति की नैतिक प्रेरणा और कर्तव्य-बोध पर बल देता है, जबकि मिल का उपयोगितावाद कर्तव्य को मानव सुख और सामाजिक कल्याण से जोड़ता है। दोनों दृष्टियों का तुलनात्मक अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि नैतिक जीवन में कर्तव्य, विवेक, स्वतंत्रता, उत्तरदायित्व और मानव कल्याण के बीच गहरा संबंध है।

इस अर्थ में कर्तव्य का सर्वोच्च रूप वह है जिसमें व्यक्ति स्वार्थ से ऊपर उठकर नैतिक उत्तरदायित्व को स्वीकार करता है और अपने कर्मों को व्यापक मानव कल्याण की दृष्टि से संपादित करता है। यही कर्तव्य को केवल सामाजिक नियम से उठाकर एक जीवंत नैतिक मूल्य में परिवर्तित करता है।